

1	2	3	4	5	6	7	8
						1164	1.92
						1193	0.04
						1194	0.61
						1196	2.10
						2 मि०	1.22
						778 मि०	3.98
					योग	किता-12	22.97
					वन खण्ड का योग	कुल किता-19	45.12

द्वितीय अनुसूची
पेड़ों की सूची

वनखण्ड-कामां पहाड़

क्र.सं.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeisus pendula Wall	धौकडा, धौ, कलधी, धौक
2.	Azadirachta indica, A Juss.	नीम
3.	Bauhinia variegata, Linn.	कचनार
4.	Boswellia serrata, Roxb.	सालई, सालर
5.	Balanites roxburglii, Roxb.(egyptica)	हिंंगोट
6.	Butes frondosa, Koenig.	पलास,
7.	Cordia rothi	गूदी
8.	Dalbergia sissoo, Roxb.	शीशम
9.	Ficus religiosa, Linn	पीपल
10.	Ficus bengalensis, Linn	बड
11.	Ficus cunia, Ham.	पाखर
12.	Holoptelia integrifolia, planch.	चुरेल, कन्जु, कांज
13.	Moringa pterygosperma, Gearth	सेजना
14.	Prosopis spicigera	खेजडा
15.	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
16.	Stephegyne parviflora. Korth	कदम, कलम
17.	Salvadora olijordes. olijedis	पीलू
18.	Salvadora perseca.	जाल
19.	Wrightia tinctoria.	दूधी
20.	Zizyphus jujuba, Lam	वेर
21.	Zizyphus xylopyra, willd	घोट
22.	Adatoda vasika	अड्डूसा

जयपुर, नवम्बर 13, 2009

वनखण्ड-आदिबन्दी पर्वत

संख्या प.2(30) वन/2008:-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अधिकारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जाँच किया जाना तथा लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फॉरेस्ट सेटलमेन्ट असिस्टेन्ट फॉरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और वन-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अनुसरण में यह भी करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त पथरों को हटाया जाना अथवा घूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना अथवा वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची					विवरण		
क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम	खसरा नम्बर	(मै)
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आदिबंदी पर्वत	डीग	भरतपुर	उत्तर-कस्मूका ग्राम पूर्व-तख डाह ग्राम दक्षिण-टोहा ग्राम पश्चिम-सीमा नगर तहसील	1. अलीपुर	104	1
						108	
						112	
						114	
						115	
						121	
						124	
						152	
						156	
						200	
						202	

1	2	3	4	5	6	7	8
						496	5.47
						497	4.22
						506	1.00
						512	3.36
						513	4.65
						514	4.86
						515	3.48
						537	1.93
						548	16.69
						583	5.58
						587	5.36
						588	6.00
						589	4.14
						590	5.83
						694	24.56
						701	1.18
						702	4.48
						712	20.64
						714	1.62
						718	6.56
						719	2.80
						734	7.39
						737	5.88
						742	2.98
						745	4.93
						746	6.59
						747	19.37
						748	18.26
						750	20.00
						751	20.00
						752	24.53
						753	12.00
						754	8.00
						755	8.74
						756	14.05
						757	12.09
						758	4.26
						759	14.24
						760	7.41
						118	13.73
						536	5.49
					योग	किता-53	434.80
					2. भयारी	685/1	29.00
					करमूका	738/1	15.00
					योग	किता-2	44.00
					3. जटरी	1	13.50
						2	20.85
						3	19.96
						4	16.33
						5	14.85
						6	21.80
						7	20.00

1	2	3	4	5	6	7	8
						8	15.00
						9	20.83
						13	12.00
						360	6.38
						361	8.50
					योग	किता-12	199.00
					4. घडीमेवात	2	16.60
						3	28.85
						4	22.32
						5	17.22
						6	13.45
						7	20.74
						8	20.65
						9	17.69
						10	3.12
						11	0.05
						12	4.43
						13	0.07
						14	0.12
					योग	किता-13	163.31
					5. रुध	299	6.06
					खोह	372	3.45
					योग	किता-2	9.51
					6. टोडा	1	24.16
						2	15.00
						3	23.10
					योग	किता-3	50.26
					7. नगला	589/5042	10.46
					खोह	776	177.08
						777	51.00
					योग	किता-3	238.54
					8. हयातपुर	1	12.04
					योग	किता-1	12.04
					वन खण्ड	किता -89	1180.40
					का योग		

द्वितीय अनुसूची
पेड़ों की सूची

वनखण्ड - आदिवासी पर्यट

क्र.स.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeisus pendula Wall	धौकडा, धौ, कलधी, धौक
2.	Azadirachta indica, A Juss.	नीम
3.	Acacia arabica, Willd	बबूल
4.	Acacia senegal	कुमठा
5.	Albizzia procora, Benth	सफेद सिरस
6.	Bauhinia malabarica Roxb.	झीझा खदुवा
7.	Bauhinia variegata, Linn.	कचनार